[2020] 4 उम. नि. प. 61

जगमाल सिंह और एक अन्य

बनाम

करमजीत सिंह और अन्य

[2020 की सिविल अपील सं. 1889]

13 मई, 2020

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 65 और 66 – द्वितीयिक साक्ष्य – पेश किए जाने की अनुज्ञा – जहां मूल दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं, वहां किसी सुस्पष्ट कारण के बिना और द्वितीयिक साक्ष्य देने के लिए तथ्यात्मक आधार को सिद्ध किए बिना न्यायालय के लिए किसी पक्षकार को द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने के लिए मंजूरी देना अनुज्ञेय नहीं है, किंतु जहां मामले के तथ्यों और साक्षियों के साक्ष्य से मूल दस्तावेज के अस्तित्व में होने की बात सिद्ध होती हो, वहां ऐसे दस्तावेज के अस्तित्व में होने की बात को सिद्ध करने के लिए पक्षकार को द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा देना न्यायोचित होगा ।

संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थियों ने इस आशय की घोषणा करने के लिए एक वाद फाइल किया था कि वे गांव कोकरी कलां, तहसील और जिला मोगा में स्थित बाबू सिंह पुत्र खुमन सिंह के स्वामित्व में की प्रत्येक भूमि में आधे हिस्से की सीमा तक स्वामी हैं और सहायक कलेक्टर, द्वितीय ग्रेड, मोगा द्वारा बलदेव सिंह (प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के हित-पूर्वाधिकारी) और शमशेर सिंह (प्रत्यर्थी सं. 3) के पक्ष में मंजूर किए गए नामांतरण अवैध, अकृत और शून्य हैं, क्योंकि उक्त दोनों नामांतरण तारीख 20 मार्च, 1998 की एक कूटरचित विल के आधार पर मंजूर किए गए हैं । पूर्वोक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थियों द्वारा द्वितीयिक साक्ष्य के द्वारा तारीख 24 जनवरी, 1989 की विल की प्रति को साबित करने के लिए अनुज्ञा की

ईप्सा करते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65/66 के अधीन एक आवेदन दिया गया । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन मंजूर किया गया । प्रत्यर्थियों ने उक्त आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में एक सिविल पुनरीक्षण फाइल किया गया, जो उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया । इसके पश्चात्, अपीलार्थियों ने अधिनियम की धारा 65/66 के अधीन विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व पदधारियों को अधिनियम की धारा 66 के अधीन तारीख 24 जनवरी, 1989 की मूल विल को पेश करने के लिए सूचना जारी करने हेतु एक अन्य आवेदन फाइल किया । यह आवेदन इस आधार पर किया गया था कि उक्त मूल विल अपीलार्थियों द्वारा राजस्व पदधारियों को उनके पक्ष में नामांतरण मंजूर करने के लिए सौंपी गई थी । दोनों राजस्व पदधारियों को उक्त मूल विल को पेश करने के लिए सूचना जारी की गई किंतु वे उक्त विल को पेश करने में असफल रहे । इसके पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया । अपीलार्थियों ने उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन एक पुनरीक्षण आवेदन के द्वारा उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया । अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य तब दिया जा सकेगा जब यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल प्रति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्याधीन है, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है । विधि की यह स्थिर स्थिति है कि द्वितीयिक साक्ष्य ग्रहण किए जाने के लिए यह अधिकारिक साक्ष्य

दिया जाना चाहिए कि अमुक कारणों से क्यों मूल साक्ष्य पेश नहीं किया गया था । प्रस्तुत मामले में, साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है क्योंकि इसकी संवीक्षा करने के पश्चात् ही मूल विल के अस्तित्व में होने, गुम या नष्ट होने के बारे में राय बनाई जा सकती है । जबकि दोनों राजस्व पदधारी मूल विल को पेश करने में असफल रहे थे, उनकी प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि उनमें से किसी भी पदधारी ने विल के अस्तित्व में न होने की बात से साफ-साफ इनकार नहीं किया था । अभि. सा. 3, राकेश कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया था कि उस क्षेत्र में एक अन्य पटवारी था और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उस अन्य पटवारी के समक्ष ऐसी विल प्रस्तुत की गई थी । उसने यह भी कथन किया कि यह मामला 25 वर्ष पुराना है और वह उस क्षेत्र में ज्यादा लंबे समय तक तैनात नहीं रहा था, इसलिए विल का पता नहीं लगा सका था । इसके अलावा, अभि. सा. 4 ने यह बात भी स्वीकार की कि "रजिस्ट्रीकृत विल थी जिसकी प्रविष्टि की गई थी । राकेश कुमार पटवारी को बाबू सिंह की एक कच्ची (अरजिस्ट्रीकृत) विल नामांतरण दर्ज करने के लिए सौंपी गई थी ....." । इसके अतिरिक्त, विल के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य अभि. सा. 1 दर्शन सिंह, जो प्रश्नगत विल का लेखक है, की परीक्षा से सिद्ध होता है और उसने निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया था – "मैंने तारीख 24 जनवरी, 1989 की विल देखी थी जिस पर लेखक तथा साक्षी के रूप में मेरे हस्ताक्षर हैं ।" प्रस्तुत मामले में विद्यमान पूर्वोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों द्वारा द्वितीयिक साक्ष्य देने के अधिकार को सिद्ध करने के लिए तथ्यात्मक आधार पेश किया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय को उन्हें द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किए बिना और यह अभिनिर्धारित करके विधि की गंभीर गलती की है कि पूर्व-अपेक्षित शर्त अर्थात् विल के अस्तित्व में होने की बात को अभिलेख पर सिद्ध नहीं किया गया था और तदद्वारा अपीलार्थियों को द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने का अवसर देने से इनकार कर दिया था । (पैरा 11, 15 और 16)

निदिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] (2016) 16 एस. सी. सी. 483 : **राकेश मोहिन्द्रा** बनाम **अनिता बेरी और अन्य** ; 13

[2011] (2011) 4 एस. सी. सी. 240 : **एच. सिद्दीकी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** बनाम **ए. रामालिंगम** ; 14

[1976] [1976] 1 एस. सी. आर. 246 : **अशोक दुलीचंद** बनाम **माधवलाल दूबे और एक अन्य** । 12

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 1889.

2015 के सिविल पुनरीक्षण सं. 7271 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के तारीख 9 जनवरी, 2017 के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री आनंद पदनाभन और शशि भूषण कुमार

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री गौरव

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने दिया ।

न्या. मुरारी – यह अपील 2015 के सिविल पुनरीक्षण सं. 7271 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 9 जनवरी, 2017 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थियों द्वारा बाबू सिंह नामक व्यक्ति द्वारा उनके पक्ष में तारीख 24 जनवरी, 1989 को निष्पादित की गई विल की प्रति को द्वितीयिक साक्ष्य के द्वारा साबित करने के लिए, क्योंकि मूल विल जो नामांतरण के लिए ग्राम पटवारी को सौंपी गई थी वह पुन: प्राप्त नहीं हो सकी थी, अनुज्ञा की ईप्सा करते

हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 और 66 के अधीन फाइल किए गए आवेदन में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), मोगा द्वारा पारित किए गए आदेश की पुष्टि की थी । उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज करते हुए यह मत व्यक्त किया कि चूंकि विल के अस्तित्व में होने की पूर्व-अपेक्षित शर्त साबित नहीं हुई है, इसलिए द्वितीयिक साक्ष्य अनुज्ञात करके विल को साबित करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थियों ने इस आशय की घोषणा करने के लिए एक वाद फाइल किया था कि वे गांव कोकरी कलां, तहसील और जिला मोगा में स्थित बाबू सिंह पुत्र खुमन सिंह के स्वामित्व में की प्रत्येक भूमि में आधे हिस्से की सीमा तक स्वामी हैं और सहायक कलेक्टर, द्वितीय ग्रेड, मोगा द्वारा बलदेव सिंह (प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के हित-पूर्वाधिकारी) और शमशेर सिंह (प्रत्यर्थी सं. 3) के पक्ष में मंजूर किया गया तारीख 28 फरवरी, 1991 का नामांतरण सं. 9971 तथा तारीख 25 फरवरी, 1991 का नामांतरण सं. 9359 अवैध, अकृत और शून्य है, क्योंकि उक्त दोनों नामांतरण तारीख 20 मार्च, 1998 की एक कूटरचित विल के आधार पर मंजूर किए गए हैं । प्रत्यर्थियों को वाद संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने, अंतरण करने या बंधक करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश के पारिणामिक अनुतोष के लिए भी प्रार्थना की गई थी ।

3. पूर्वोक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थियों द्वारा द्वितीयिक साक्ष्य के द्वारा तारीख 24 जनवरी, 1989 की विल की प्रति को साबित करने के लिए अनुज्ञा की ईप्सा करते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65/66 के अधीन एक आवेदन दिया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 4 जुलाई, 2014 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन मंजूर किया गया था ।

4. प्रत्यर्थियों ने उक्त आदेश से व्यथित होकर 2014 का सिविल पुनरीक्षण सं. 4545 फाइल किया, जो उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए मंजूर किया गया :–

"जब एक बार अपीलार्थियों ने यह अभिकथन किया है कि मूल विल राजस्व पदधारी के कब्जे में है, उन्हें इसको प्रस्तुत कराने के लिए अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर एक सूचना तामील करनी चाहिए थी और यदि यह अभिकथन किया जाता है कि उक्त विल गुम हो गई है, तब द्वितीयिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन फाइल किया जा सकता था किंतु पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुपालन के अभाव में, अधिनियम की धारा 65 के अधीन फाइल किया गया आवेदन स्वत: कायम रखने योग्य नहीं है । निचले न्यायालय द्वारा की गई पूर्वोक्त स्पष्ट गलती को देखते हुए, यह पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाता है और आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है । तथापि, प्रत्यर्थियों को अधिनियम की धारा 66 के अधीन अभी भी उस राजस्व पदधारी को आवेदन देने की स्वतंत्रता है जिसको नामांतरण मंजूर करने के प्रयोजन के लिए अभिकथित विल दी गई थी और उसके द्वारा इस बात के लिए इनकार करने की दशा में कि विल गुम हो गई है, वे द्वितीयिक साक्ष्य के लिए आवेदन कर सकते हैं" ।

5. इसके पश्चात्, अपीलार्थियों ने अधिनियम की धारा 65/66 के अधीन विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व पदधारी को अधिनियम की धारा 66 के अधीन तारीख 24 जनवरी, 1989 की मूल विल को पेश करने के लिए सूचना जारी करने हेतु एक अन्य आवेदन फाइल किया । यह आवेदन इस आधार पर किया गया था कि उक्त मूल विल अपीलार्थियों द्वारा राजस्व पदधारियों को उनके पक्ष में नामांतरण मंजूर करने के लिए सौंपी गई थी । दोनों राजस्व पदधारियों को तारीख 24 जनवरी, 1989 की मूल विल को प्रस्तुत करने के लिए सूचना जारी की गई थी किंतु वे उक्त विल को पेश करने में असफल रहे । इसके पश्चात् ही तारीख 30 सितंबर, 2015 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था ।

6. अपीलार्थियों ने उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन एक पुनरीक्षण आवेदन के द्वारा उच्च न्यायालय में समावेदन किया ।

7. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं है क्योंकि यह विधि की स्पष्ट गलतियों से ग्रसित है और भाषा और भाव की दृष्टि से साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 और 66 के विरुद्ध है । यह भी उल्लेख किया गया कि अधिनियम की धारा 65(क) में तब द्वितीयिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है जब यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल प्रति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्याधीन है, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है । ऐसी अनिश्चित परिस्थिति में, संबंधित पक्षकार द्वितीयिक साक्ष्य के द्वारा उस दस्तावेज को साबित करने का हकदार है । यह दलील दी गई कि अपीलार्थियों ने पहले ही राजस्व पदधारियों को न्यायालय के माध्यम से साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 के अधीन सूचना तामील कर दी थी किंतु द्वितीयिक साक्ष्य के द्वारा जो विल पेश की जानी ईप्सित थी, वह दोनों राजस्व पदधारियों में से किसी के द्वारा पेश नहीं की गई थी ।

8. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि मूल विल को केवल बहस के अनुक्रम के दौरान साबित किया जा सकता है और विधि की यह अपेक्षा नहीं है कि इसे प्रथम बार में साबित किया जाए और केवल उसके पश्चात् द्वितीयिक साक्ष्य मंजूर किया जा सकता है ।

9. उच्च न्यायालय ने तारीख 9 जनवरी, 2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह मत व्यक्त किया कि "प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, तारीख 24 जनवरी, 1989 की मूल विल राजस्व पदधारी (पदधारियों) को उसके आधार पर नामांतरण करने और मंजूर करने के लिए दी गई थी, किंतु बड़ी हैरानी की बात है, यद्यपि दोनों राजस्व पदधारियों अर्थात् प्यारे लाल और राकेश कुमार, पटवारियों को तारीख 24 जनवरी, 1989 की मूल विल को पेश करने के लिए

अधिनियम की धारा 66 के अधीन सूचना तामील की गई थी किंतु वे इसे पेश करने में असफल रहे । इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहीं भी मूल विल के अस्तित्व में होने के बारे में नहीं कहा था । इसलिए पूर्व-अपेक्षित शर्त अर्थात् विल की विद्यमानता अभिलेख पर सिद्ध नहीं हुई थी । इस प्रकार, यह मत व्यक्त करते हुए कि विचारण न्यायालय ने द्वितीयिक साक्ष्य के द्वारा तारीख 24 जनवरी, 1989 की विल को साबित करने के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया था, तारीख 30 सितंबर, 2015 के आदेश में कोई कमी या अवैधता नहीं है बल्कि वह पूर्ण रूप से फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य तथा विधि की स्थिर प्रतिपादना के अनुसार है ।" उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाया और विचारण न्यायालय के विनिश्चय को कायम रखते हुए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि द्वितीयिक साक्ष्य ग्रहण करने की पूर्व-अपेक्षित शर्त अर्थात् विल के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया गया था ।

10. विवादग्रस्त मामले का उचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए अधिनियम की धारा 65 और 66 को उद्धृत करना समुचित होगा, जो निम्न प्रकार से हैं :–

> "65. **अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयिक साक्ष्य दिया जा सकेगा** – किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा –
>
> (क) जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जें में या शक्त्याधीन है –
>
> जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा
>
> जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है,
>
> और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है ;

(ख) जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है ;

(ग) जबकि मूल नष्ट हो गया है, या खो गया है अथवा जबकि उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता ;

(घ) जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता ;

(ङ) जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है ;

(च) जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है;

(छ) जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है ।

अवस्थाओं (क), (ग) और (घ) में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयिक साक्ष्य ग्राह्य है ।

अवस्था (ख) में यह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है ।

अवस्था (ङ) या (च) में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, किंतु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है ।

अवस्था (छ) में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है ।

66. **पेश करने की सूचना के बारे में नियम** – धारा 65, खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा जब तक ऐसे द्वितीयिक साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को, जिसके कब्जे में या शक्त्याधीन वह दस्तावेज है [या उसके अटर्नी या प्लीडर को] उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना, जैसी कि विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना, जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है, न दे दी हो :

परंतु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में अथवा किसी भी अन्य अवस्था में, जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीयिक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी :–

(1) जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है,

(2) जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी,

(3) जबकि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है,

(4) जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है,

(5) जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो

जाना स्वीकार कर लिया है,

(6) जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है ।"

11. धारा 65 के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य तब दिया जा सकेगा जब यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल प्रति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्याधीन है, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है । विधि की यह स्थिर स्थिति है कि द्वितीयिक साक्ष्य ग्रहण किए जाने के लिए यह आधारिक साक्ष्य दिया जाना चाहिए कि अमुक कारणों से क्यों मूल साक्ष्य पेश नहीं किया गया था ।

12. **अशोक दुलीचंद** बनाम **माधवलाल दूबे और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा कुछ इसी प्रकार के तथ्यों और परिस्थितियों में उद्भूत विवाद्यक पर विचार किया गया था और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

"भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के खंड (क) के अनुसार, किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य तब दिया जा सकेगा जब यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल प्रति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्याधीन है, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा

---

[1] [1976] 1 एस. सी. आर. 246.

66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है । धारा 65 के खंड (ख) से (छ) में कुछ अन्य ऐसी आकस्मिकताओं को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें किसी दस्तावेज के संबंध में द्वितीयिक साक्ष्य दिया जा सकता है ।"

13. **राकेश मोहिन्द्रा** बनाम **अनिता बेरी और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

"15. द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने के लिए पूर्व-शर्तें यह हैं कि ऐसे मूल दस्तावेज भरसक प्रयासों के बावजूद इन दस्तावेजों का अवलंब लेने वाले पक्षकार द्वारा पेश नहीं किए जा सके थे, उन्हें पेश करने में असमर्थ रहा है जो उसके नियंत्रण के बाहर हैं । द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने की ईप्सा करने वाले पक्षकार को प्राथमिक साक्ष्य पेश न कर सकने की बात को अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए । जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाता है कि मूल दस्तावेज गुम हो गया है या नष्ट हो गया है या उस पक्षकार द्वारा जानबूझकर विधारित किया जा रहा है जिसकी बाबत उस दस्तावेज को प्रयुक्त किया जाना ईप्सित है, उस दस्तावेज की बाबत द्वितीयिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।"

14. यह अति सामान्य बात है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन तथ्यों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए और द्वितीयिक साक्ष्य इस नियम का केवल एक अपवाद है और इसके लिए प्राथमिक साक्ष्य के अस्तित्व का कारण बताने के लिए आधारिक तथ्यों को सिद्ध किया जाना चाहिए । **एच. सिद्दीकी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** बनाम **ए. रामालिंगम**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह दोहराया कि जहां किसी सुस्पष्ट कारण के बिना मूल दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं और द्वितीयिक साक्ष्य देने के लिए तथ्यात्मक आधार सिद्ध नहीं होता है, वहां न्यायालय के लिए किसी पक्षकार को द्वितीयिक साक्ष्य देने के लिए मंजूरी देना अनुज्ञेय नहीं है ।

---

[1] (2016) 16 एस. सी. सी. 483.

[2] (2011) 4 एस. सी. सी. 240.

15. प्रस्तुत मामले में, साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है क्योंकि इसकी संवीक्षा करने के पश्चात् ही मूल विल के अस्तित्व में होने, गुम या नष्ट होने के बारे में राय बनाई जा सकती है । जबकि दोनों राजस्व पदधारी मूल विल को पेश करने में असफल रहे थे, उनकी प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि उनमें से किसी भी पदधारी ने विल के अस्तित्व में न होने की बात से साफ-साफ इनकार नहीं किया था । अभि. सा. 3, राकेश कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया था कि उस क्षेत्र में एक अन्य पटवारी था और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उस अन्य पटवारी के समक्ष ऐसी विल प्रस्तुत की गई थी । उसने यह भी कथन किया कि यह मामला 25 वर्ष पुराना है और वह उस क्षेत्र में ज्यादा लंबे समय तक तैनात नहीं रहा था, इसलिए विल का पता नहीं लगा सका था । इसके अलावा, अभि. सा. 4 ने यह बात भी स्वीकार की कि "रजिस्ट्रीकृत विल थी जिसकी प्रविष्टि की गई थी । राकेश कुमार पटवारी को बाबू सिंह की एक कच्ची (अरजिस्ट्रीकृत) विल नामांतरण दर्ज करने के लिए सौंपी गई थी ....."। इसके अतिरिक्त, विल के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य अभि. सा. 1 दर्शन सिंह, जो प्रश्नगत विल का लेखक है, की परीक्षा से सिद्ध होता है और उसने निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया था :–

> "मैंने तारीख 24 जनवरी, 1989 की विल देखी थी जिस पर लेखक तथा साक्षी के रूप में मेरे हस्ताक्षर हैं ।"

16. प्रस्तुत मामले में विद्यमान पूर्वोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों द्वारा द्वितीयिक साक्ष्य देने के अधिकार को सिद्ध करने के लिए तथ्यात्मक आधार पेश किया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय को उन्हें द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किए बिना और यह अभिनिर्धारित करके विधि की गंभीर गलती की है कि पूर्व-अपेक्षित शर्त अर्थात् विल के अस्तित्व में होने की बात को अभिलेख पर सिद्ध नहीं किया गया था और तद्द्वारा

अपीलार्थियों को द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने का अवसर देने से इनकार कर दिया था ।

17. यह मत व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि मात्र साक्ष्य में स्वीकारोक्ति करने और किसी दस्तावेज का प्रदर्श बनाने से स्वयमेव वह दस्तावेज साबित नहीं हो जाता है जब तक कि उसे विधि के अनुसार साबित नहीं किया गया हो ।

18. पूर्वोक्त विधिक और तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय तात्विक अनियमितता और विधि की स्पष्ट गलतियों से ग्रसित है और कायम रखे जाने योग्य नहीं है और इसलिए इसे अपास्त किया जाता है । तद्नुसार, यह अपील मंजूर की जाती है ।

19. अपीलार्थी प्रश्नगत विल की बाबत द्वितीयिक साक्ष्य पेश करने के हकदार होंगे । तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीयिक साक्ष्य को ग्रहण करने से इसकी प्रमाणिकता, सत्यता या असलियत स्वयमेव अनुप्रमाणित नहीं हो जाती है, जिसे विचारण के दौरान विधि के अनुसार सिद्ध किया जाना होगा ।

20. इन तथ्यों और परिस्थितियों में, हम खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं करते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.